सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 28, मंगलवार, *शाके* 1945-अप्रेल 18, 2023 *Chaitra 28, Tuesday , Saka 1945- April 18, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 02, 2023

संख्या प.4(23) कृषि/ग्रुप-2/2022 :-जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्रमांक प.4(23) कृषि/ग्रुप-2/2022 जयपुर, दिनांक 01.11.2022 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति ईटावा के क्षेत्र में से उप तहसील खातौली की 11 ग्राम पंचायते क्रमशः खातौली, तलाब, जटवाडा, बोरदा, ककरावदा, बालूपा, बागली, केथूदा, ढीपरी चम्बल, नीमोला एवं सीनोता के समस्त क्षेत्र को पृथक एक नई कृषि उपज मण्डी समिति, खातौली के नाम से स्थापित किये जाने के आशय की घोषणा की गई थी।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, ईटावा के घोषित क्षेत्र में से पंचायत समिति उप तहसील खातौली की 11 ग्राम पंचायते क्रमशः खातौली, तलाब, जटवाडा, बोरदा, ककरावदा, बालूपा, बागली, केथूदा, ढीपरी चम्बल, नीमोला एवं सीनोता के सम्पूर्ण क्षेत्र को पृथक करने की घोषणा करती है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार घोषणा करती है कि राजस्थान राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध में उप तहसील खातौली की 11 ग्राम पंचायते क्रमशः खातौली, तलाब, जटवाडा, बोरदा, ककरावदा, बालूपा, बागली, केथूदा, ढीपरी चम्बल, नीमोला एवं सीनोता का सम्पूर्ण क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति, खातौली का मण्डी क्षेत्र होगा।

अधिनियम की धारा 6 व 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के प्रयोग के लिए अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, खातौली का नियमन करती है तथा इस कृषि उपज मण्डी समिति को "द" श्रेणी में वर्गीकृत करती है।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से कृषि उपज मण्डी समिति, खातौली को प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण राजस्व मण्डी समिति, खातौली के प्रथम बोर्ड के गठन होने तक कृषि उपज मण्डी समिति, ईटावा में पूर्ववत् जमा होगा तथा मण्डी समिति खातौली के प्रथम बोर्ड गठन होने के पश्चात उक्त जमा राशि मण्डी समिति, ईटावा द्वारा मण्डी समिति खातौली को स्थानान्तरित की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।